

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही या मय इनिशियलस जज
25/11/21	<p>           पत्रावली नाम के मय सालरी में पेश हुई            पत्रावली का आवलोकन किया गया।            ग्राम लालरी के नाम सं. 783 के आवलोकन            से स्पष्ट है कि ग्राम लालरी की मयारी            किला 7 रकबा 13 बीघा 13 दिक्कत अर्थात् में            हीरा वि. कंवरीया सखारतारा का किलमी            मूल्य के उपरोक्त नाम. 783 रजि. किया            गया जिसमें पत्रावली हलका द्वारा किलमी            राजरा अनुपार मूलक <del>के</del> हीरा के            पुत्र सत्यनारायण, रमेशचन्द्र. पुत्रियां            देवबाई, चरनबाई एवं बेवा सुगारबाई            का होना बताया परन्तु ग्राम पंचायत सालरी            द्वारा दि. 5.12.2012 को नाम-तस्वीक            करते लक्ष्म पुत्रियों के नाम रजि. नहीं कर            मात्र पुत्रों व बेवा के नाम रजि. करते का आरोप            प्रगत किया। <del>किसी</del> हिन्दू उत्तराधिकार            कानूनों के प्राधान्य अनुपार किला की            अर्थ में पुत्र पुत्री का समान अधिकार होना ही            रखोउन्तलें। वारा भी स्वाम्यसत्ताकाल            पेश कर अपनी बहिनो के नाम रजि. करते            का विवेक किया।         </p> <p>           अतः प्रस्तुत कापील में ग्राम पंचायत            सालरी द्वारा किलीत नाम सं. 783 दि. 5/12/21            को विरुद्ध किया जाकर पत्रावली लक्ष्मीलक्ष्मी            रामपुर को इत कारण के साथ रिमाण्ड की            जाती है कि मूलक हीरा वि. कंवरीया के         </p>



नम्बर  
तारीख  
अहकाम  
कम  
में जारी

हुकम या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तालीम  
में जारी हुए

वैध कारीगार की जांच कर डिन्डू 303/2021 के  
अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत गण्डे सिरे  
से नामान्तरण दर्ज करे। TDR संपदा  
को लाहरीर जारी कर निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ  
जाये। पञ्जाबी डिन्डू 20/2021 को तालीम  
दफ्तर है।

(सन्तोष कुमार मीना)  
उपखण्ड अधिकारी  
पिड़ाया जिला झालावाड़  
प्रशासन गांव के संग 2021

